न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा जिला जयपुर राजस्थान

पीठासीन अधिकारी :— श्री संजीव कुमार खेदर , आर. ए. एस.

प्रार्थना पत्र संख्या :— 135 / 2025

उनवान

1. गोपाल पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
2. जगदीश प्रसाद पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
3. राजकुमार पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
4. लक्ष्मीनारायण पुत्र जयनारायण उर्फ जैला
5. नन्दलाल यादव पुत्र फूलचन्द
6. मनमोहन सिंह यादव पुत्र फूलचन्द
7. राकेश कुमार यादव पुत्र फूलचन्द
8. रामप्यारी देवी पत्नी फूलचन्द
9. विनीता कुमारी पुत्री फूलचन्द
10. शांति देवी पुत्री फूलचन्द
11. सीमा देवी पुत्री फूलचन्द
12. मंगली देवी पत्नी बद्रीप्रसाद

समस्त जाति अहीर (यादव) निवासी ढाणी तेजाजी वाली, उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, राज0

— प्रार्थीगण

बनाम

1. अशोक पुत्र बन्नाराम उर्फ भानाराम
2. विक्रम सिंह पुत्र बन्नाराम उर्फ भानाराम
3. रामसहाय पुत्र मंगला
4. हरिराम पुत्र मुरलीधर

समस्त जाति अहीर निवासी नाथ्यावाली, तन उदावाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0

5. मदनलाल दत्तक पुत्र बद्री जाति ब्राहमण निवासी ढाणी तारूवाला, तन उदावाला तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
6. जीवण पुत्र गंगूराम
7. दामोदर पुत्र डालू

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

जाति ब्राहमण, निवासी पुरोहित जी का मौहल्ला चोपड बाजार मनोहरपुर, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर, राज0

8. भानाराम पुत्र भगवान सहाय, जाति अहीर निवासी ढाणी तेजाजी वाली, तन उदावाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
9. रामसहाय पुत्र गंगाराम जाति अहीर निवासी ढाणी नाथ्यावाली, तन उदावाला, तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
10. प्रबन्धक, आई.डी.बी.आई बैक लि0 शाखा निम्स शोभानगर चन्दवाजी, जयपुर राज0
11. प्रबन्धक केनरा बैंक शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
12. प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई. बैंक लि0 शाखा शाहपुरा जिला जयपुर राज0
13. उपतहसीलदार उप तहसील मनोहरपुर तहसील शाहपुरा जिला जयपुर राज0
14. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर।

— अप्रार्थीगण

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 एल.आर.एक्ट</u>

निर्णय दिनांक :— 02/01/2026

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है कि हाल आराजी खसरा नंबर 2910 रकबा 0.25 है0, 2912 रकबा 0.05 है0 कुल किता 2 रकबा 0.30 है0 वाके ग्राम बाडीगरों की ढाणी, पटवार हल्का उदावाला, तहसील—शाहपुरा, जिला जयपुर स्थित है नकल जमाबंदी हाल सं0 2074 से 2077 खाता संख्या 38 संलग्न प्रार्थना—पत्र है। उपरोक्त भूमि के प्रार्थीगण स0—1 लगायत 4 प्रत्येक 1/8 1/8 भाग के प्रार्थीगण स0—5 लगायत 11 प्रत्येक 1/28, 1/28 भाग के व प्रार्थी स0—12, 1/4 भाग की खातेदार काश्तकार है व अपने अपने हिस्सो के अनुसार काबिज रहकर काश्त व उसका उपयोग व उपभोग करते आ रहे है जिससे प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी का किसी प्रकार का कोई सम्बन्ध अधिकार व कब्जा नहीं रहा है एवं न ही वर्तमान में है। यहकि प्रार्थीगण की खातेदारी की उपरोक्त भूमि हाल खसरा न0—2910 के उत्तर में हाल खसरा नं0—2917, 2916, दक्षिण में हाल खसरा न0—2904, 2891/1 पूर्व में हाल खसरा नं0—2911 पश्चिम में हाल खसरा न0—2909 एवं हाल खसरा नं0—2912 के उत्तर में हाल खसरा नं0—2911, 2915 दक्षिण व पश्चिम में प्रार्थीगण का हाल खसरा न0—2910 व पूर्व में हाल खसरा नं0—4356/2913 स्थित है। यहकि हाल खसरा न0—2909, 2916, 2917 की खातेदारी अप्रार्थीगण स0—1 लगायत 4 के व हाल खसरा नं0—2891/1 की खातेदारी अप्रार्थी सं0—9 के व हाल खसरा न0—2904 की खातेदारी

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

अप्रार्थी स0—5 के व हाल खसरा न0—2911, 2915 की खातेदारी अप्रार्थीगण सं0—6, 7 के व हाल खसरा न0—4356/2913 की खातेदाररी अप्रार्थी स0—8 के नाम दर्ज है जमाबन्दी हाल स0—2074 से 2077 सलग्न प्रार्थना पत्र है। यहकि अप्रार्थी स0—1 ने अपने नाम दर्ज 1/6 भाग को अप्रार्थी स0—10 के यहाँ, अप्रार्थी स0—2 ने अपने नाम दर्ज 1/6 भाग को अप्रार्थी स0—11 के यहाँ व अप्रार्थी स0—5 ने अप्रार्थी स0—12 के यहा रहन रख रखा है जिसका हाल जमाबन्दी में इन्द्राज होने से कानूनी एतराज पूर्ति हेतु पक्षकार अप्रार्थी बनाया गया है। प्रार्थीगण के पडोसी खातेदार खातेदार उक्त अप्रार्थीगण प्रार्थीगण की भूमि के सम्बन्ध में सीमा विवाद करते है, व प्रार्थीगण की सीमा तोडकर भूमि पर जबरन कब्जा करना चाहते है। प्रार्थीगण की उपरोक्त भूमि का नियमानुसार अप्रार्थी स0—13 के आदेश कमाक / 2022/1346—50 दिनाक 0211. 2022 की पालना में दिनाक 09.11.2022 को पटवारी हल्का नवलपुरा, उदावाला, मनोहरपुर द्वारा मौके पर खसरा नं0—2911 गैर मु.चाह को मुश्तकिल बिन्दू मानकर एव खसरा नं0—2888 गैर मु.चाह से मिलान कर उपस्थित मौतवीरान के समक्ष सीमाज्ञान किया है जिसका फर्द मौका ग्राम बाडीगरो की ढाणी तैयार की गयी जिसकी सत्य प्रतिलिपी सलग्न प्रार्थना पत्र है। प्रार्थीगण अपनी उपरोक्त खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0—2910, 2912 का सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 के अनुसार पडौसी काश्तकारान से सीमा विवाद से व अपनी भूमि की सुरक्षा व फसल का पशुओ से बचाव हेतु स्थायी सीमाकन (पत्थरगढी) करवाना चाहते है जिसके लिये प्रार्थना पत्र प्रस्तुत है।

अन्त में निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी भूमि हाल खसरा नं0—2910 रकबा 0.25 हैक्टर, 2912 रकबा 0.05 हैक्टर कुल किता—2 कुल रकबा 0.30 हैक्टर ग्राम बाडीगरो की ढाणी, पटवार हल्का उदावाला, तहसील—शाहपुरा का नियमानुसार फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनाक—09.11.2022 के अनुसार स्थायी सीमांकन (पत्थरगढी) करवाये जाने के आदेश प्रदान करे।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को विधिवत नोटिस जारी किये गये। प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से अधिवक्ता श्री खेमचन्द यादव ने वकालतनामा पेश किया एवं अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 की ओर से अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने अण्डरटेकिंग दी। अधिवक्ता श्री मदनलाल जाट ने अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 4 व 9 की ओर से जवाब पेश किया एवं अधिवक्ता श्री खेमचन्द यादव ने अप्रार्थी संख्या 5 की ओर से जवाब प्रार्थना—पत्र मय प्रति प्रार्थना—पत्र पेश किया। शेष अप्रार्थीगण बाद तामील व सूचना के अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

वकील वादी ने अपने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रश्नगत आराजीयात का फर्द मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट दिनांक 09.11.2022 के अनुसार स्थायी सीमाकंन (पत्थरगढ़ी) करवाये जाने के आदेश प्रदान करने बाबत् निवेदन किया। वकील अप्रार्थी ने अपने जवाब प्रार्थना–पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि उक्त प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी खारिज फरमाया जावे अथवा प्रश्नगत आराजीयात के साथ–साथ अप्रार्थीगण के आराजी खसरा नंबरों के संबंध में स्थायी सीमाचिन्ह स्थापित/सीमा निश्चयकरण किये जाने के आदेश प्रदान करें।

वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्राली में उपलब्ध दस्तावेजात, प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों एवं फर्द सीमाज्ञान का अवलोकन किया गया। अवलोकन उपरांत जाहिर होता है कि प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र बाबत् पत्थरगढ़ी हेतु पेश किया गया है एवं प्रार्थी द्वारा विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए उक्त प्रार्थना–पत्र पेश किया है। अप्रार्थीगण यदि अपने आराजी खसरा नंबरों का सीमा निश्चयकरण करवाना चाहते है तो विधिक प्रक्रिया अपनाते हुए न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र पेश कर सकते है। उपर्युक्त विवेचन अनुसार वकील अप्रार्थी संख्या 5 के द्वारा प्रस्तुत प्रति प्रार्थना–पत्र सारहीन होने से खारिज किया जाता है। पत्रावली में उपलब्ध फर्द मौका सीमाज्ञान दिनांक 09.11.2022 को प्रार्थी की भूमि का पटवारी हल्का उदावाला के द्वारा सीमाज्ञान करवाया गया है। प्रार्थी के द्वारा अपनी भूमि की सुरक्षा एवं आस पास के खातेदारों द्वारा सीमाचिन्ह के अभाव में सींव डोल काटने से आये दिन होने वाले विवादों की वजह से पत्थरगढी करवाना चाहता है। पत्थरगढी करवाना एक खातेदार/काश्तकार का विधिक अधिकार है तथा इसके द्वारा अपनी सीमा के विवाद, सीमा दबाना आदि अनावश्यक मुकदमेबाजी से बचाव का यह एक उपाय है, जिसके अभाव में काश्तकार अपनी सीमा चिन्ह से सुरक्षा आदि उपाय नहीं कर सकते है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र न्यायिक दृष्टि से स्वीकार किये जाने योग्य है।

उपखण्ड अधिकारी शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान

आदेश

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र बाबत पत्थरगढी का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहपुरा को आदेशित किया जाता है कि आराजी खसरा नं. 2910 रकबा 0.25 है0, 2912 रकबा 0.05 है0 किता 2 कुल रकबा 0.30 है0 वाकै ग्राम बाडीगरों की ढाणी, पटवार हल्का उदावाला, तहसील शाहपुरा, जिला जयपुर, प्रार्थी की खातेदारी भूमि का पडौसी खातेदारान को सुचित करते हुए एवं कब्जे से संबंधित विवाद होने पर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

कब्जा सुपुर्द नही करते हुए उनकी उपस्थिति में खातेदारी भूमि का मुताबिक सीमाज्ञान दिनांक 09.11.2022 के अनुसार यदि पूर्व में पत्थरगढी नही हुई हो तो पत्थरगढी करवाये जाने का तदानुसार तहसीलदार शाहपुरा को आदेश जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 02/01/2026 को सरै इजलास सुनाया गया।

(संजीव कुमार खेदर, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी, शाहपुरा
जिला–जयपुर

उपखण्ड अधिकारी
शाहपुरा, जयपुर (राज.)

कार्यालय उप खण्ड अधिकारी
शाहपुरा (जयपुर) राजस्थान